बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक................................../पटना, दिनांक..
03/सह0ब0योजना (आवंटन)–06/2024

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अन्तर्गत "जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (CBS) के उन्नयन हेतु अनुदान" योजना के तहत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना के अधीनस्थ कार्यरत कुल 23 (तेईस) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रति बैंक राशि रू० 50,85,000/– (पचास लाख पचासी हजार) रूपये की दर से कुल 23×50,85,000 अर्थात् राशि रू० 11,69,55,000/–(ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख पचपन हजार) रूपये के आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक– 603, दिनांक– 27.03.2025 के आलोक में राज्य स्कीम अंतर्गत मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107–क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0142–केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान, विपत्र कोड–09–2425001070142, विस्तृत शीर्ष–31–सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में रू० 11,69,55,000/–(ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख पचपन हजार) रूपये का आवंटन दिया जाता है।

2 उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं०–214/वि0, दिनांक–06.03.2024 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या–02) अधिनियम, 2024 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या–3576/वि०, दिनांक–01.04.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.1998 में निहित शर्त्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए उक्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–................................/पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, स0स0, बिहार, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–79 (अ0)/पटना, दिनांक–27/03/2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, स0स0, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-3-25

सरकार के अपर सचिव।